न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 07 / 2020 दायरा दिनांक 03.11.2020

पीठासीन अधिकारी :— राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

शमीम बानो पुत्री रूस्तम अली जाति मुसलमान निवासी केलवाडा पत्नि मो0 दाराखान निवासी समरानियां जिला बारां राजस्थान

—अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला — बारां राजस्थान।

— रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक............................

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार केलवाडा दिनांक 15.07.2015 नामान्तरकरण संख्या 1314 ग्राम केलवाडा

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2015 ग्राम केलवाडा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम केलवाडा तहसील शाहबाद की आराजी ख.नं. 206 रकबा 1.05 बीघा ख.नं. 213 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 236 रकबा 0.11 बीघा, ख.नं. 246 रकबा 0.18 बीघा, ख.नं. 247 रकबा 0.12 बीघा, ख.नं. 255 / 798 रकबा 1.00 बीघा, ख.नं. 271 रकबा 1.00 बीघा, 478 रकबा 1.10 बीघा, ख.नं. 569 रकबा 4.01 बीघा एवं ख.नं. 577 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 10 कुल रकबा 12.11 बीघा के खातेदार रूस्तमअली पुत्र रसूलमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी केलवाडा थे जिनकी मृत्यु के बाद विरासत में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1314 पर सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रही है।

अपीलान्ट मृतक खातेदार की सगी पुत्री है लेकिन उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त मृतक खातेदार के वारिसान में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से सलमा बेगम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का सही नाम शमीम बानों है जो आधार क[illegible]ोर्ट आदि में दर्ज है सलमा बेगम नाम की अपीलान्ट की कोई बहन या मृतक [illegible] प्रविष्टि की हद तक अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तरकरण को चैलेन्ज क[illegible] के स्थान [illegible]ना नाम शमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

बानो दर्ज कराने की हकदार है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.08.2020 को उक्त आराजियात की पटवारी हल्का से नकल नामान्तरकरण लेने पर अपीलान्ट को पता चला कि उक्त आराजियात के फोती नामान्तरकरण संख्या 1314 में अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज हो गया है। जो अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना दर्ज किया गया है। जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.08.2020 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम सलमा बेगम गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का सही नाम शमीम बानो है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम सलमा बेगम गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट का नाम शमीम बानो है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, अंक तालिका से साबित होता है। ग्राम केलवाडा के खोले गये नामान्तरकरण में सलमा बेगम के स्थान पर शमीम बानो दर्ज हो जाना, उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम केलवाडा का इंतकाल नं. 1314 दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 1314 दिनांक 15.07.2015 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested